UPLK010056402023

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।**
**सेशन्स केस सं0 604/2020**

सरकार **बनाम** आदर्श यादव

अ0सं0 16/2020
धारा—3/25/27 आयुध अधि0,
थाना—पारा, लखनऊ।

**11—05—2022**

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त आदर्श यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05.07.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010056402023

## न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
## सेशन्स केस सं0 604/2020

सरकार **बनाम** आदर्श यादव

अ0सं0 16/2020
धारा—3/25/27 आयुध अधि0,
थाना—पारा, लखनऊ।

### आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार—III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त आदर्श यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः—

**प्रथमः** यह कि दिनांक 10.01.2020 व समय 15.45 बजे थाना पारा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत थाना पारा के थानाध्यक्ष वादी मुकदमा त्रिलोक सिंह को समय हमराह पुलिसगण आपके द्वारा जनपद उन्नाव के औरास के जंगल से आला कत्लएक अद्द तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कराये गये, जिन्हें आपने पास रखने का आपके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं है, इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार—III)
दिनांकः 11—05—2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार—III)
दिनांकः 11—05—2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

शैलेन्द्र, आशुलिपिक

Digitally signed by NARENDRA
KUMAR III
Date: 2023.05.11 17:45:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court